न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–91/2002–03

श्री रति राम –बनाम– श्री बिजा व ज्ञानचन्द पुत्रगण स्व मन्शाराम व अन्य

उपस्थितः श्री विजय कुमार ढौंडियाल, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदातागण : श्री दिनेश प्रकाश त्यागी।

बावत

मौजा सिकरौढ़ा, परगना भगवानपुर,
तहसील रूड़की, जनपद हरिद्वार।

निर्णय

प्रस्तुत निगरानी अपर आयुक्त, मरेठ मण्डल, मेरठ द्वारा निगरानी संख्या–18/1992–93 अन्तर्गत धारा–218 भू–राजस्व अधिनियम रतिराम बनाम मंशाराम आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 22–07–93 के विरूद्व राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश में योजित की गई जो उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपर तहसीलदार, रूड़की के न्यायालय में रतिराम पुत्र घसीटा ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 08–04–87 प्रस्तुत किया जिसमें मृतक घसीटा पुत्र हीरा की वसीयत दिनांक 18–01–82 के आधार पर मृतक के स्थान पर प्रश्नगत खाते में उसका नाम बतौर वारिस अभिलेखों में अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया। इस वाद में मंशाराम पुत्र कुरडी ने आपत्ति प्रस्तुत की जिसमें कथन किया गया कि मृतक के वारिस रतिराम, आशाराम व मंशाराम पुत्रगण कुरडी हैं और मृतक ने कोई वसीयत रतिराम के पक्ष में नहीं की है। एक अन्य प्रार्थना पत्र मंशाराम ने दिनांक 02–06–87 को प्रस्तुत किया जिसमें मृतक घसीटा के लावल्द फौत होने की स्थिति में बहैसियत भतीजे जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–171 के अन्तर्गत उसके स्थान पर मंशाराम, आशाराम, रतिराम पुत्रगण कुरड़ी को प्रश्नगत खाता में मृतक के स्थान पर अभिलेखों में बतौर वारिसान अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया जिसपर रतिराम ने आपत्ति प्रस्तुत की गई कि मृतक घसीटा ने रतिराम के पक्ष में वसीयत की है जो मृतक के जीवनकाल में ही प्रार्थी/आपत्तिकर्ता के पक्ष में की गई है और यह कि मंशाराम व आशाराम का विवादित भूमि से कोई वास्ता नहीं है। अपर तहसीलदार, रूड़की के न्यायालय में उपरोक्तानुसार दो पृथक–पृथक वाद संख्या–353 व 413 अन्तर्गत धारा–34 भू–राजस्व अधिनियम दर्ज हुए। उभयपक्ष द्वारा दिनांक 30–03–89 को एक प्रार्थना पत्र राजीनामें के रूप में प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि वसीयत को अप्रभावी समझा जाय और मृतक घसीटा के भाग की भूमि उसके तीनों सगे भतीजे आशाराम, मंशाराम व रतिराम पुत्रगण कुरडी मालिक हैं और घसीटा के स्थान पर उसके तीनों भतीजों का नाम दाखिल खारिज किए जाने में किसी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। इस वाद में पुनः दिनांक 23–06–89 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रतिराम द्वारा राजीनामा को अस्वीकार किये जाने एवं वाद को साक्ष्य एवं गुणदोष के आधार पर निस्तारित किए जाने का अनुरोध किया गया। अपर तहसीलदार, रूड़की ने निर्णयादेश दिनांक से मृतक घसीटा पुत्र हीरा के स्थान पर उसकी वसीयत के आधार पर रतिराम का नाम अंकित किए जाने के आदेश दिनांक 09–03–92 पारित किए। इस आदेश के विरूद्व मंशाराम व आशाराम पुत्रगण कुरड़ी ने परगनाधिकारी, रूड़की समक्ष पृथक–पृथक अपील संख्या–63/92 तथा 64/92 अन्तर्गत

धारा–210 भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत की। विद्वान परगनाधिकारी, रूड़की ने अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः विधिवत इश्तहार जारी कर वाद का निस्तारण किए जाने के आदेश दिनांक 27–11–92 पारित किए। इस आदेश के विरूद्व रतिराम ने विद्वान अपर आयुक्त(न्यायिक), मेरठ मण्डल, मेरठ के समक्ष निगरानी संख्या–18/1992–93 रतिराम बनाम मंशाराम आदि प्रस्तुत की गई जो निर्णयादेश दिनांक 22–07–93 से निरस्त की गई। अपर आयुक्त, मेरठ के निर्णयादेश दिनांक 22–07–93 के विरूद्व रतिराम द्वारा निगरानी राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश में योजित की गई जो उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

इस निगरानी में नियत तिथि 02–12–2015 को निगरानीकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ जिसके फलस्वरूप प्रतिउत्तरदातागण की एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियों का सम्यक अध्ययन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि मृतक घसीटा लावल्द फौत हुआ था और मंशाराम ने मृतक घसीटा के स्थान पर मंशाराम ने दिनांक 02–06–87 को प्रस्तुत किया जिसमें मृतक घसीटा के लावल्द फौत होने की स्थिति में बहैसियत भतीजे जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–171 के अन्तर्गत उसके स्थान पर मंशाराम, आशाराम, रतिराम पुत्रगण कुरड़ी को प्रश्नगत खाता में मृतक के स्थान पर अभिलेखों में बतौर वारिसान विरासत के आधार पर अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया। वसीयत में वसीयतकर्ता ने अपनो सिर्फ एक भतीजा रतिराम पुत्र कुरडी होना लिखा है जबकि आशाराम व मंशाराम पुत्रगण कुरड़ी भी उसके भतीजे हैं। वसीयत में वसीयतकर्ता की जायदाद का वर्णन नहीं है और वसीयत में मात्र यह लिखा है कि मैं यह भी वसीयत करता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी इस जायदाद का मालिक व काबिज मेरा भतीजा रतिराम पुत्र कुरड़ी रहेगा। वंशावली के आधार पर हीरा प्रश्नगत सम्पत्ति का मूल खातेदार था और उसके तीन पुत्र कुरड़ी, घसीटा तथा कन्टू हुए जिसमें घसीटा व कन्टू लावल्द अविवाहित फौत हुए थे। कुरड़ी के तीन पुत्र मंशाराम, आशाराम व रतिराम हुए। मंशाराम की मृत्यु दिनांक 29–06–2013 को हो चुकी है और उसके स्थान पर उसके विधिक वारिसान बिज्जा व ज्ञानचन्द निगरानी में प्रतिस्थापित हो चुके हैं। अपर तहसीलदार के न्यायालय में रतिराम प्रश्नगत वसीयत दिनांक 18–01–82 को सिद्व करने में असफल रहा है और उसके पश्चात तीनों भतीजों रतिराम, आशाराम व मंशाराम पुत्रगण कुरड़ी ने आपस में समझौता करते हुए मृतक घसीटा पुत्र हीरा के स्थान पर बतौर भतीजे उत्तराधिकारी नाम दर्ज किए जाने हेतु दिनांक 30–03–89 को प्रार्थना पत्र/समझौतानामा प्रस्तुत किया जो न्यायालय तहसीलदार के समक्ष नियमानुसार उभयपक्षों द्वारा व उनके अधिवक्तागणों द्वारा उपस्थित होकर सत्यापित किया गया जिसमें अपर तहसीलदार द्वारा विधि विरूद्व जाकर वसीयत के आधार पर रतिराम का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए गए जो त्रुटिपूर्ण है और निरस्त होने योग्य है। परगनाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील स्वीकार होकर अपर तहसीलदार को नामान्तरण वाद को विधिवत नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। रतिराम ने अपर आयुक्त, मेरठ के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो अस्वीकार हुई। उभयपक्षों के बीच दो बार तस्दीकशुदा समझौता दाखिल किया गया था और दोनों बार ही उनके दबाव में होना कहकर समझौतानामा को अस्वीकार किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत कार्यवाही को अनावश्यक रूप से लम्बित रखने हेतु यह कार्यवाही की गई। निगरानी निरस्त होकर मृतक घसीटा के स्थान पर उसके भतीजों को जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–171 के अनुसार विरासत के आधार प्रश्नगत सम्पत्ति में दर्ज किए जाने के आदेश भू–राजस्व अधिनियम की धारा–231 के अनुसार इस न्यायालय द्वारा पारित किए जाने आवश्यक हैं।

इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि अपर तहसीलदार, रूड़की के न्यायालय में रतिराम पुत्र घसीटा ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 08–04–87 प्रस्तुत किया जिसमें मृतक घसीटा पुत्र हीरा की वसीयत दिनांक 18–01–82 के आधार पर मृतक के स्थान पर प्रश्नगत खाते में उसका नाम बतौर वारिस अभिलेखों में अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया। इस वाद में मंशाराम पुत्र कुरडी ने आपत्ति प्रस्तुत की जिसमें कथन किया गया कि मृतक के वारिस रतिराम, आशाराम व मंशाराम पुत्रगण कुरडी हैं और मृतक ने कोई वसीयत रतिराम के पक्ष में नहीं की है। एक अन्य प्रार्थना पत्र मंशाराम ने दिनांक 02–06–87 को प्रस्तुत किया जिसमें मृतक घसीटा के लावल्द फौत होने की स्थिति में बहैसियत भतीजे जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–171 के अन्तर्गत उसके स्थान पर मंशाराम, आशाराम, रतिराम पुत्रगण कुरड़ी को प्रश्नगत खाता में मृतक के स्थान पर अभिलेखों में बतौर वारिसान अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया जिसपर रतिराम ने आपत्ति प्रस्तुत की गई कि मृतक घसीटा ने रतिराम के पक्ष में वसीयत की है जो मृतक के जीवनकाल में ही प्रार्थी/आपत्तिकर्ता के पक्ष में की गई है और यह कि मंशाराम व आशाराम का विवादित भूमि से कोई वास्ता नहीं है। अपर तहसीलदार, रूड़की के न्यायालय में उपरोक्तानुसार दो पृथक–पृथक वाद संख्या–353 व 413 अन्तर्गत धारा–34 भू–राजस्व अधिनियम दर्ज हुए। उभयपक्ष द्वारा दिनांक 30–03–89 को एक प्रार्थना पत्र राजीनामें के रूप में प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि वसीयत को अप्रभावी समझा जाय और मृतक घसीटा के भाग की भूमि उसके तीनों सगे भतीजे आशाराम, मंशाराम व रतिराम पुत्रगण कुरडी मालिक हैं और घसीटा के स्थान पर उसके तीनों भतीजों का नाम दाखिल खारिज किए जाने में किसी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। इस वाद में पुनः दिनांक 23–06–89 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रतिराम द्वारा राजीनामा को अस्वीकार किये जाने एवं वाद को साक्ष्य एवं गुणदोष के आधार पर निस्तारित किए जाने का अनुरोध किया गया।

प्रतिउत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय अपर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तु समझौता/राजीनामा जो दो बार प्रस्तुत हुए और उभयपक्षों को उनके अधिवक्तागणों द्वारा नियमानुसार तस्दीक/सत्यापित किया गया की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया गया जिनका अवलोकन किया गया। इनके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपर तहसीलदार के समक्ष दो बार प्रकरण में समझौतानामा/राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए और दो बार निगरानीकर्ता ने उनको दबाव में आकर हस्ताक्षरित/स्वीकार होना कहकर अस्वीकार किया गया। प्रकरण के प्रथमदृष्टया अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि मृतक घसीटा पुत्र हीरा के तीन भतीजे रतिराम, आशाराम व मंशाराम थे। अपर तहसीलदार ने त्रुटिपूर्ण ढंग से समझौतानामा/राजीनामा को स्वीकार न कर कथित वसीयत के आधार पर रतिराम का नाम मृतक घसीटा के स्थान पर राजस्व अभिलेखों में अंकित किए जाने के आदेश पारित किए गए जो किसी भी प्रकार से विधिसम्मत प्रतीत नहीं होते हैं। वाद के तथ्यों के आलोक में गत तीन दशक पूर्व से अनावश्यक रूप से चले आ रहे विवाद को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा/समझौतानामा दिनांक 30–03–89 जिसे उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों द्वारा तस्दीक/सत्यापित किया गया है के आधार पर लम्बित रखा जाना उचित नहीं है। प्रश्नगत समझौतानामा/राजीनामा दिनांक 30–03–89 के आधार पर जो धारा–171 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन भी विधिसंगत है मृतक घसीटा पुत्र हीरा के स्थान पर उसके सगे भतीजों रतिराम, आशाराम व मृतक भतीजे मंशाराम के स्थान पर उसके विधिक वारिसानों/उत्तराधिकारियों बिज्जा व ज्ञानचन्द उर्फ ज्ञानू का नाम कागजात माल में दर्ज किया जाना विधिसम्मत है। विगत 33 वर्षो से अनावश्यक रूप से चले आ रहे विवाद को धारा–231 भू–राजस्व अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक घसीटा पुत्र हीरा का नाम कागजात माल से निरस्त कर उसके स्थान पर जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–171 के अनुसार

सगे भतीजों रतिराम व आशाराम व मृतक मंशाराम के स्थान पर उसके विधिक वारिसानों/पुत्रगणों बिज्जा व ज्ञानचन्द उर्फ ज्ञानू का नाम दर्ज किए जाने हेतु तहसीलदार, भगवानपुर को निर्देशित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः बलहीन होने के कारण निगरानी अस्वीकार की जाती है तथा सम्बन्धित तहसीलदार, भगवानपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे मृतक घसीटा पुत्र हीरा के स्थान पर उसके सगे भतीजों आशाराम व रतिराम तथा मृतक भतीजे मंशाराम के स्थान पर उसके विधिक उत्तराधिकारियों/पुत्रगणों बिज्जा व ज्ञानचन्द उर्फ ज्ञानू का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाय तथा अनुपालन आख्या से इस न्यायालय को सम्बन्धित खाता खतौनी की प्रति सहित एक माह अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करें। अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियाँ वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

18.1.16

(विजय कुमार ढ़ौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक 18/1/16 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

18/1/16

(विजय कुमार ढ़ौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।